राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांकः प.7(51)परि/नियम/मु./2011 /12038 जयपुर, दिनांकः 30/05/2022

समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
.....(राजस्थान)।

विषयः चालन अनुज्ञप्ति (Driving licence) के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों में वर्णित प्रावधानों एवं विभागीय आदेशों की पालना के संबंध में दिशा निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने हेतु चालन अनुज्ञप्ति धारण करना अनिवार्य है। सड़क दुर्घटनाओं की प्रवृति के विश्लेषण पश्चात् संज्ञान में आया है कि चालन अनुज्ञप्ति धारको द्वारा मोटर यान चालन विनियमों का सही प्रकार से पालना नहीं किया जाना सड़क दुर्घटना का एक मुख्य कारण है। सड़क दुर्घटनाओं के कमी लाने हेतु ड्राईविंग लाईसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ ही नियमों के उल्लघंन किये जाने की दशा में नियमानुसार चालन अनुज्ञप्ति निरर्हित (disqualify) या प्रतिसंहरण (Revocation) किये जाने की कार्यवाही यथासमय संपादित की जाये। इस हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं, जिनकी सख्ती से पालना किया जाना सुनिश्चित करें–

1. वर्तमान में चालक लाईसेंस हेतु चालन परीक्षण का कार्य कार्यालय में निर्मित ऑटोमेटेड ड्राईविंग ट्रैक अथवा परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षक द्वारा ड्राईविंग ट्रैक पर किया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी इस कार्य हेतु अनुज्ञप्ति अधिकारी है अतः उक्त चालन सक्षमता परीक्षण (The test of competence to drive) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 15(3) में उल्लेखित मानकों के अनुसार लिया जाये एवं चालन सक्षमता परीक्षण उत्तीर्ण किये बिना किसी भी आवेदक को चालक लाईसेस जारी नहीं किया जाये।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 15(2) के प्रावधानानुसार अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा चालन सक्षमता परीक्षण उसी श्रेणी के वाहन पर लिया जाये जिस श्रेणी के लाईसेंस हेतु आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है।

3. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 15(1A) प्रावधानानुसार दिव्यांगजन द्वारा रूपान्तरित श्रेणी के चालक लाईसेंस हेतु आवेदन किये जाने पर चालन परीक्षण के समय नियमानुसार वैध रूप से पंजीकृत रूपान्तरित वाहन के साथ उपस्थित होना होगा। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(1) के अनुसार रूपान्तरित यान ऐसा यान होगा जिसे या तो विशेष रूप से डिजाईन एवं निर्मित किया गया हो अथवा शारीरिक विकार या निःशक्तता से पीडित व्यक्ति के उपयोग हेतु धारा 52(2) के प्रावधानानुसार परिवर्तित किया गया हो एवं उसका ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके लिए एकमात्र रूप से उपयोग किया जाता है।

Scanned with CamScanner

4. मोटर ड्राईविंग स्कूलों की एमडीएसआर स्कीम–2018 के बिन्दु संख्या 8(20) में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार वर्ष में 1 बार संबंधित अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा एवं वर्ष में 2 बार संबंधित जिला परिवहन अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से जांच की जाये। ऐसे किये गये निरीक्षण के परिणामों से मुख्यालय को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

5. मोटर ड्राईविंग स्कूलों में प्रशिक्षणार्थियों की नियमित उपस्थिति एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता की नियमित रूप से जांच की जाये। मोटर ड्राईविंग स्कूलों में प्रशिक्षणार्थियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति के प्रावधान सुनिश्चित की जाये। मोटर ड्राईविंग स्कूलों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के समय नवीनतम तकनीकी यथा–मल्टी मीडिया मोड्यूल, केस स्टडी, पावर पॉईन्ट प्रजन्टेशन इत्यादि का यथा संभव प्रयोग किया जाये एवं प्रादेशिक /जिला परिवहन अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये की प्रशिक्षक को मोटर वाहन अधिनियम की शिड्यूल में वर्णित यातायात चिन्हों का ओर धारा 118 के अधीन बनाये गये रोड रेगूलेशन का पूर्ण व अद्यतन ज्ञान हो।

6. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 16 में वर्णित प्रावधानानुसार लाईसेसिंग प्राधिकारी को समुचित आधार पर यह विश्वास होने पर कि कोई लाईसेंस धारक किसी रोग या निःशक्तता के आधार पर मोटर यान चलाने के अयोग्य है तो वह लाईसेसिंग प्राधिकारी उस ड्राईविंग लाईसेंस को प्रतिसंहृत (revoke) कर सकेगा अथवा इस अधिनियम की धारा 8(3) के अन्तर्गत एक नया चिकित्सा प्रमाण पत्र लाईसेस धारक से प्राप्त कर सकेगा।

7. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 19(1) के प्रावधानानुसार चालन अनुज्ञप्तिधारक को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त लाईसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारक 19(1) में उल्लेखित कृत्यों के अन्तर्गत दोषी है तो लाईसेंसिंग प्राधिकारी नियमानुसार लाईसेंस को निरर्हित (disqualify) या प्रतिसंहृत (revoke) करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगें।

8. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19(1)(f) के प्रावधानानुसार न्यूसेंस अथवा जनता को खतरा कारित करने वाले कार्यो को केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 21(1) में चिन्हित किया है, जिसमें ओवरलोड माल का परिवहन, निषिद्व माल का परिवहन, असावधानीपूर्वक यान चालन, गुड्स कैरीज में यात्रियों का परिवहन, इत्यादि शामिल है। इस तरह के अपराधों में केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 19(1) के प्रावधानानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगें।

9. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 19(1A) में प्रावधान है कि चालक द्वारा धारा 183 (अत्यधिक गति से वाहन चलाना), 184 (खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाना), 185 (नशे में वाहन चलाना), 189 (दौड और गति का मुकाबला), 190 (असुरक्षित दशा वाले यान का उपयोग), 194ग (मोटर साईकिल ड्राईवर एवं सवारियो के लिए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन), 194घ (बिना हेलमेट वाहन चलाना या सवारी करना), 194ड. (आपातकालीन यानों को अबाध रूप से गुजरने देने में असफलता) में से किसी धारा के अन्तर्गत अपराध किये जाने

Scanned with CamScanner

की दशा में पुलिस अधिकारी द्वारा लाईसेंस अग्रेषित किये जाने पर, सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् लाईसेंसिग प्राधिकारी विस्तृत कारणों को लेखबद्ध करते हुए ऐसें व्यक्ति को प्रथम अपराध की दशा में **तीन माह** की अवधि के अनुज्ञप्ति निरर्हित (disqualify)करने के आदेश तथा दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध के लिये चालन अनुज्ञप्ति प्रतिसंहरण (Revocation) किये जाने के आदेश करेगा।

10. पुलिस अधिकारी द्वारा इस अभिकथन पर कोई मामला पूर्व में रजिस्टर किया गया हो इस अधिनियम की धारा 21(1) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धारा 184 के अन्तर्गत दोषसिद्व किया जा चुका है तथा उसके द्वारा मोटर यान को खतरनाक रूप से चलाने के कारण एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु या गंभीर चोट पहुची है तो उस दशा में मामला रजिस्टर किये जाने की दिनांक से 6 माह की अवधि तक के लिये चालन अनुज्ञप्ति निलंवित हो जायेगी।

11. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 21(2) के अनुसार लाईसेंसिग ऑथोरिटी द्वारा Disqualify या Revoke किये गये ड्राइविंग लाइसेंसों का रिकॉर्ड कालक्रम के अनुसार नियमित रूप से पोर्टल पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित करावें।

12. उपरोक्त के अतिरिक्त मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय 2 (मोटरयानों के ड्राईवरों के अनुज्ञापन) में वर्णित समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करावें।

30/5/2022

(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त परिवहन एवं
सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांकः प.7(51)परि/नियम/मु./2011/12039 – 045 जयपुर, दिनांकः 30/05/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त अधिकृत मोटर ड्राईविंग स्कूल।
6. नोडल अधिकारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

30/5/2022

आयुक्त परिवहन एवं
सड़क सुरक्षा विभाग

Scanned with CamScanner